

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र

आवेदन प्रपत्र की कंडिका-8 एवं 9 के आलोक में।

पत्रांक- .....

दिनांक- .....

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (छात्रा का नाम)

पिता-..... ग्राम-..... प्रखण्ड- ..... थाना- .....

जिला- ..... राज्य- झारखण्ड की निवासी है। यह कि छात्रा विद्यालय- .....

..... (विद्यालय का नाम) में कक्षा- ..... में नामांकित है। इन्हें

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधी सत्यापन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य का नाम .....

विद्यालय का नाम .....

प्रखण्ड .....

जिला .....